न्यायालय उपखंड अधिकारी लूनकरनसर

बअदालत :– राजेन्द्र कुमार आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना – पत्र संख्या 336 / 2022

1. धनपत
2. नरेन्द्र
3. प्रेमचन्द

} पि0 ओमप्रकाश जाति जाट (डूडी) निवासीगण खोडाला तहसील लूनकरनसर जिला बीकानेर

–प्रार्थीगण–

बनाम

1. ईमीलाल पुत्र रामकरण जाति जाट निवासी 185 आरडी भोजेवाला तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर हाल खोडाला
2. हरीराम पुत्र पुत्र ईमीलाल जाति जाट निवासी 185 आरडी भोजेवाला तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लूनकरनसर।

–अप्रार्थीगण–

उपस्थित :–

1 श्री रामकरण मूण्ड प्रार्थीगण वकील

4. श्री लालचन्द जाट अप्रार्थी संख्या 1 ता 2 वकील

5. पेरोकार राज।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 एलआरएक्ट न्यायालय हाजा निर्णय दिनांक 21.12.2022 बाद माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त बीकानेर निर्णय दिनांक 14.02.2023 की पालना मे प्रार्थना पत्र बाबत पत्थर गढी मौजा रोही खोडला पटवार हल्का बींझराली तहसील लूनकरणसर जिला बीकानेर के खसरा संख्या 800 / 1 तानदी 6.0696 हैक्टेयर।

<u>–: निर्णय :–</u>

दिनांक :–19.07.2024

उभय पक्ष उपस्थित। बहस सूनी गई । पत्रावली मे पूर्व निर्णय दिनांक 21.12 2022 के कम माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त बीकानेर संभाग बीकानेर द्वारा दिनाक 14.02.2023 द्वारा पुनः सुनवाई हेतु रिमाण्ड किया गया । माननीय न्यायालय के निर्णय की पालना मे पुनः उभय पक्ष अधिवक्ता की उपस्थिति मे बहस सूनी गई । वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराते हुवे निवेदन किया कि प्रार्थीगण के नाम से ग्राम रोही खोडाला के खसरा नम्बर 800 / 1 तादादी 6.0696 हैक्टेयर खातेदारी भूमि राजस्व रिकार्ड मे न0हि0स0 विधिवत दर्ज है। प्रार्थीगण का वर्षो पुराना कब्जा काश्त चला आ रहा है। सीमा चिन्हो को लेकर प्रार्थीगण एव अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के बीच विवाद पैदा हो जाता है। प्रार्थीगण द्वारा दिनाक 18.05 2022 को अपने खेत का सीमा ज्ञान पडोसीयों व पुलिस की मौजूदगी मे करवाया लेकिन सही सीमाओ का चिन्हित नही होने के कारण विवाद बढता गया जिस पर उपरोक्त भूमि की सीमाओ को लेकर प्रार्थीगण व अप्राथी संख्या 1 व 2 के बीच विवाद बढ गया है अप्रार्थी संख्या 1 व 2 प्रार्थीगण की भूमि छोडने के लिये तैयार नहीं है। अप्रार्थी संख्या 1ता2 के नाम खसरा नं. 1053 / 791 राजस्व रिकार्ड मे दर्ज हैं। अप्रार्थी संख्या 1 खसरा नम्बर 1053 / 791 की सीमा निश्चित होने के बाद अप्रार्थी संख्या 1 व 2 प्रार्थीगण की उत्तर दिशा की कुछ भूमि पर जबरन कब्जा कर रखा है उत्तर दिशा की भूमि पर किये हुए कब्जे को अप्राथी संख्या 1ता2 सीमाज्ञान होने पर भी छोडने को तैयार नही है। प्रार्थीगण के खसरा नम्बर 800 / 1 की उत्तर दिशा की भूमि पर अप्रार्थीगण द्वारा जबरन कब्जा कर रखा है। उत्तर दिशा की भूमि पर किय हुए कब्जो को अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा जबरदस्ती कब्जा पत्थर गडी के अभाव में कर रखा है।

Rajendra
उपखण्ड अधिकारी
लूणकरणसर

उपरोक्त भूमि की पत्थरगढी होना अति आवश्यक है पत्थरगढी के अभाव में प्रार्थीगण की भूमि के उत्तर दिशा के चिपते हुए काश्तकार प्रार्थीगण की भूमि के उत्तर दिशा की भूमि पर कब्जा कर लेते है। प्रार्थीगण की खडी फसल को उजाड देते हैं। सीमाज्ञान दिनांक 18.05.2022 में स्पष्ट बताया गया है कि प्रार्थीगण के उत्तर दिशा के पडोसी अप्रार्थीगण जिसके नाम से खसरा नम्बर 1053/791 के खातेदार द्वारा प्रार्थीगण के खसरा नम्बर 800/1 की उत्तर दिशा की भूमि पर जबरन कब्जा कर रखा हैं। अतः वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थीगण के खसरा नम्बर 800/1 तादादी 6.0696 हैक्टेयर ग्राम रोही खोडाला की भूमि पर पत्थरगढी करवाने के आदेश हेतु निवेदन किया गया।

वकील अप्रार्थीगण द्वारा जरिये प्रार्थना पत्र 151 सीपीसी निवेदन किया गया कि न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 21.12.2022 की अनुपालना में दिनांक 10.01.2023 को पटवारी हल्का बीझरवाली थानाधिकारी कालू द्वारा खसरा नम्बर 800/1 एवं खसरा नम्बर 1053/791 की मध्य चलने वाले कटानी रास्ते से उत्तर दिशा में प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की भूमि पर अप्रार्थीगणों को पत्थरगढी करवाकर कब्जा दिलवाया था लेकिन न्यायालय हाजा का आदेश दिनांक 21.12.2022 निरस्त हो चुका है इसलिए पूर्व की स्थिति पुनः बहाल की जानी न्यायहित में आवश्यक है। दिनांक 10.01.2023 को हल्का पटवारी द्वारा प्रार्थीगण की सरसों व गेहूं की खडी फसल में पत्थरगढी की थी उक्त भूमि प्रार्थीगण के कब्जेकाश्त की थी एवं न्यायालय हाजा का आदेश दिनांक 21.12.2022 निरस्त हो चुका है इसलिए न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 21.12.2022 से पूर्व की स्थिति बहाल की जाकर खसरा नम्बर 796 जो गै.मु. रास्ता है। उक्त रास्ते से उत्तर दिशा में स्थित खसरा नम्बर 1053/791 की भूमि पर पत्थरगढी कर अप्रार्थीगणों को कब्जा दिया था वह कब्जा पुनः प्रार्थीगण को दिलवाया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

हमने बहस का मनन किया प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। संलग्न सीमाज्ञान फर्द मौका प्रति अनुसार दिनांक 10.05.2022 को तहसीलजदार लूनकरनसर के आदेशानुसार पालना में पटवार हल्का द्वारा मौजा रोही खोडाला के खसरा नम्बर 800/1 तादादी 6.0703 हैक्टेयर सीमाचिन्ह दिये उक्त सीमाज्ञान के कम मे न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 21.12.2022 को पत्थरगढी के आदेश दिये जिसे माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त बीकानेर द्वारा पुनः विधिवत आदेश पारित करने हेतु रिमांड किया गया। उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत बहस एवं दस्तावेजो के कम मे दौराने बहस उभयपक्ष द्वारा वादगत भूमि मे मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड कमेटी द्वारा सीमाज्ञान करवाये जाने व पत्थरगढी करवाये जाने हेतु सहमति व्यक्त की गयी है। अतः प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन एवं बहस का मनन कर आदेश दिये जाते है कि तहसीलदार(भू.अ.) लूनकरनसर सक्षम न्यायालय का स्थगन न हो तो प्रार्थी की खातेदारी भूमि मौजा रोही खोडाला के खसरा नम्बर 800/1 तादादी 6.0703 हैक्टेयर एवं अप्रार्थी संख्या 1 ता 2 की भूमि खसरा नम्बर 1053/791 तादादी 9.3447 हैक्टेयर भूमि मे नियमानुसार सींवजोड काश्तकार को सूचित कर कमेटी का गठन कर मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड अनुसार पुनः सीमाज्ञान करवाये जाने तथा उसी कम मे पत्थरगढी करवाये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी हेतु तहसील स्तर पर टीम के आदेश करे तथा प्रार्थी द्वारा उक्त टीम के एक दिवस के वेतन की नियमानुसार राशि जमा कराने पर सीमाज्ञान अनुसार पत्थरगढी कराये तथा दौराने पत्थरगढी किसी भी काश्तकार को बिना विधिक प्रकिया अपनाये कब्जाकाश्त की भूमि से बेदखल न किया जावे। फैसले की प्रमाणित प्रति तहसीलदार (भू.अ.) लूनकरनसर को पालनार्थ प्रेषित की जावे। पत्रावली निर्णय में शुमार होकर हस्ब जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 19.07.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

(हस्ताक्षर)
(... कुमार)
उपखण्ड अधिकारी